उत्तराखंड में ट्रेन और हवाई उड़ानों की रफ्तार पर कोहरे का ब्रेक, लिंक सात घंटे तो कोटा एक्सप्रेस पौने छह घंटे लेट

देहरादून, एजेंसी। मैदानी जिलों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ने से ट्रेनों के देरी से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दून रेलवे स्टेशन पर शनिवार को प्रयागराज से आने वाली लिंक एक्सप्रेस सात घंटे और कोटा से आने वाली कोटा-दून एक्सप्रेस पौने छह घंटे देरी से पहुंची।

वहीं, दिल्ली से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ढाई घंटे और गोरखपुर से आने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस तीन घंटे देरी से आई। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ट्रेनों के देरी से आने के कारण दिनभर दून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की खचाखच भीड़ रही। बाहरी जिलों से जरूरी काम के लिए देहरादून आ रहे यात्रियों को भी जहमत उठानी पड़ी। प्रयागराज से आने वाली लिंक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14113) का दून रेलवे स्टेशन में पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 12:20 बजे है, लेकिन यह सात घंटे सात मिनट देरी से शाम 7:27 बजे पहुंची।

कोटा से आने वाली कोटा-दून एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12401) का दून स्टेशन पर आने का निर्धारित समय सुबह 5:45 बजे है, लेकिन यह पांच घंटे 43 मिनट देरी से होकर सुबह 11:28 बजे आई। दिल्ली से आने वाली दून-शताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12017) का दून रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 12:55 बजे है, लेकिन यह शाम 3:28 बजे पहुंची। ऐसे में इस ट्रेन ने 41 मिनट देरी से वापसी भी की।

दून से इसके वापस दिल्ली जाने का निर्धारित समय शाम 4:55 बजे है, लेकिन देरी से आने के कारण यह शाम 5:36 बजे रवाना हो सकी। गोरखपुर से आने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15005) का दून रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2:15 बजे है, लेकिन यह तीन घंटे दो मिनट देरी से होकर शाम 5:17 बजे आई। वहीं, बनारस से आने वाली बनारस-दून एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15119) और काठगोदाम से आने वाली नैनी-दून एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12092) पांच-पांच मिनट देरी से पहुंची। कोहरे का असर जैसलमेर से काठगोदाम आने वाली रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पड़ा है। जिस वजह से शनिवार को ट्रेन एक घंटा 40 मिनट देरी से काठगोदाम पहुंची। अन्य दिनों में ये ट्रेन सुबह पांच बजकर पांच मिनट आ जाती है, लेकिन कोहरे ने पहुंचने का समय 6.45 मिनट कर दिया। हालांकि वापसी में रात को ट्रेन तय समय 8.35 पर ही रवाना हुई। रेलवे के अनुसार अन्य ट्रेनों की समय सारिणी पर असर नहीं पड़ा है। वहीं, पंतनगर एयरपोर्ट की उड़ानों पर फिलहाल कोहरे का कोई प्रभाव नहीं है।

देहरादून हवाई अड्डे पर विभिन्न शहरों की उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पर पहुंचीं।

निकाय चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने आरक्षण पर 48 घंटे में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

नैनीताल , एजेंसी। नैनीताल हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। आकाश पासवान व कई अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि वह अनुसूचित जाति का है। विभिन्न जिलों में नगर पंचायतों के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि 1998 में नगर पंचायत शक्तिगढ़ जिला ऊधमसिंह नगर के चुनाव में चेयरमैन का पद अनारक्षित श्रेणी में था। 2003 में अनारक्षित, 2008 में बैकवर्ड के लिए रिजर्व रहा। 2013, 2018 और 2020 में इसे अनारक्षित रखा। याचिका में कहा कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए अनंतिम सूची जारी की। आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता ने डीएम के समक्ष 20 दिसंबर को आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि वार्ड सात कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई।

नगर निकाय चुनाव के दौरान कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिला निर्वाचन अधिकारी

– चुनाव में पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवान आवश्यकता अनुसार करें तैनात

पौड़ी (दैनिक हाक): जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए।

शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में मतदान व मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव सामग्री व मतदान दलों के सुचारू आवागमन हेतु आरटीओ को वाहनों की व्यवस्था अभी से पूर्ण करने तथा मतगणना काउंटिंग सेंटर, स्ट्रांग रूम, बैरिकेडिंग की व्यवस्था व स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान स्थल पर अलाव की व्यवस्था, बिस्तर व खानपान की व्यवस्था करने के लिए भी संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि 80 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जहां जहां पिंक बूथ व मॉडल बूथ बनने हैं उन मतदेय स्थलों को चयनित कर आवश्यक कार्यवाही पूरी करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निकाय चुनाव में सी–विजिल के तौर पर एक मॉडल तैयार करें ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमित निगरानी रह सकेगी। इसके अलावा उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने निकाय क्षेत्रों में फ्लाइंग स्कॉट टीम गठित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव कंट्रोल रूम, मीडिया मैनेजमेंट सेल, पुलिस कंट्रोल रूम बनाना सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. चौहान ने कहा कि मतदान केंद्रों में शौचालय, लाइट व पेयजल की व्यवस्था सुचारू बेहतर हो इसका विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस, आबकारी व अन्य अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। जिससे नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। उन्होंने पुलिस व आबकारी निरीक्षकों को चुनाव के दौरान पैसा व शराब पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीआई से किसी भी तरह की लेनदेन न हो इसके लिए आरओ अपने–अपने क्षेत्र के बैंकर्स के साथ बैठक करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, एएसपी अनूप काला, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, उपजिलाधिकारी लैंसडौन शालिनी मौर्य, उपजिलाधिकारी चौबट्टाखाल अनिल चन्याल, सीओ सदर अनुज कुमार, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, सहायक निर्वाचन अधिकारी पंच स्थानीय अतुल भट्ट, सहकारिता अधिकारी पान सिंह राणा सहित अन्य आरओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम

ऊधम सिंह नगर, एजेंसी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई है। परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई है। 21 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी।

शनिवार को बोर्ड कार्यालय सभागार में सभापति एसबी जोशी की अध्यक्षा में परीक्षा समिति की बैठक हुई। बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 49 एकल व 1196 मिश्रित कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। इस बार परीक्षा में 2,23,403 परीक्षार्थी देंगे। हाईस्कूल में 1,13,690 व इंटरमीडिएट में 1,09,713 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बताया कि 21 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी है। 11 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। सुबह दस से एक बजे तक परीक्षाएं कराई जाएंगी।

जमीनी विवाद में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

केलाखेड़ा, एजेंसी। गांव गणेशपुर में जमीनी विवाद मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

बीते बृहस्पतिवार को गांव गणेशपुर में जमीन की जुताई को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा रही थी कि वे एक बार फिर भिड़ गए थे। इस दौरान केलाखेड़ा थाने के दरोगा संजय बोहरा के साथ भी धक्का-मुक्की की गई थी। मारपीट में दरोगा और एक पक्ष के चार लोग चोटिल हो गए थे।

पुलिस ने गांव गणेशपुर निवासी परमजीत सिंह की तहरीर के आधार पर गांव निवासी उदयपाल, लाल सिंह, रतनलाल, रोहित, टैनी, बिट्टू, अभिषेक, बॉबी, टिम्मा, सचिन, अनूप सिंह और जगदीश समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

लक्सर नगर पालिका भाजपा के प्रत्याशी चौ. देवेन्द्र सिंह के कार्यालय का उद्घाटन किया

लक्सर (दैनिक हाक): लक्सर नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी देवेंद्र सिंह के कार्यालय का मंत्र उच्चारण के साथ नरेश बंसल राज्यसभा सांसद ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर नरेश बंसल ने कहा कि इस बार फिर से एक बार नगर पालिका लक्सर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष अमरीश गर्ग एवं राम सिंह वाल्मीकि के कार्यकाल की तारीफ करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा हैचारों ओर विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत का परचम लहराएंगे। पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई होतो उसे माफ कर देना लेकिन इस बार चौधरी देवेंद्र सिंह को भारी मतों से जीत कर लक्सर का अध्यक्ष बनाना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पार्टी ने विश्वास करते हुए और चौधरी देवेंद्र सिंह के आचरण को देखते हुए इस बार लक्सर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चौधरी देवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है। चौधरी देवेंद्रसिंह इस बार भारी बहुमत से जीत कर नगर पालिका अध्यक्ष पद विराजमान होंगे।

भाजपा प्रत्याशी चौधरी देवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे द्वारा आज तक कराए गए कार्यों के आधार पर लोगों से वोट देने अपील की चौधरी देवेंद्र सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि इस बार कस्बे की जनता भाजपा को अपना वोट करेगी। भाजपा की प्रदेश और केंद्र में सरकार है इसलिए नगर पालिका परिषद लक्सर का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। चौधरी देवेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत को अलग ही पहचान दिलाई है आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है इसी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिंसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013
शाखा का पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 59/3, द्वितीय तल, आईडीबीआई बैंक के ऊपर राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड पिन कोड- 248001

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अन्तर्गत

प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (प्रतिभूति क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, कुल राशि की वसूली के लिये **'जैसा है जहां है' एवं 'जो भी वहां है' तथा 'जो भी जैसा है'** के आधार पर **23.01.2025** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/रोकने की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति की ई–नीलामी **23.01.2025** को 2:00 बजे अपरान्ह में की जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी को बन्द लिफाफे में **22.01.2025** को **5.00 बजे सायं** तक अथवा उससे पूर्व शाखा कार्यालय **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 59/3, द्वितीय तल, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, पिन कोड- 248001**, पर जमा होगी।
सुरक्षित / अचल सम्पत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है' के आधार पर निम्न वर्णित संक्षिप्त विवरणानुसार की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं शाखा	ऋणधारक/सह–ऋणधारकों/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/ कानूनी प्रतिनिधी (यों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर धनराशि	कब्जे का प्रकार	तिथि 30.12.2024 को बकाया
1.	10490219	श्री विशाल सिंह पुत्र श्री उदय पाल सिंह श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय उर्फ जीवन चन्द्र पुत्र श्री कौस्तुबा नंद पाण्डेय मै. नैनी ऑटो टेक द्वारा उसके पार्टनर्स, श्रीमती शुचि भारद्वाज पत्नी श्री सौरभ भारद्वाज श्रीमती गीता साह उर्फ गीता पत्नी हरीश चंद्र साह,	रु. 1,13,49,174/– (रुपये एक करोड़ तेरह लाख उन्चास हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) 05-04-2023	रु. 1,10,00,000/– (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)	रु. 11,00,000/– (रुपये ग्यारह लाख मात्र)	भौतिक	रु. 14598858/– (रुपए एक करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठानवे हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)
	अचल सम्पत्ति का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ ग्राम जयदेवपुर, परगना भावर 6 खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) में स्थित खाता नं. 650, खसरा नं. 60 मिन (फसल वर्ष 1420–1425) में शामिल आवासीय सम्पत्ति माप 1980 वर्ग फीट अर्थात् 184.01 वर्ग मी. (60'x66') की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः अन्य व्यक्ति की भूमि, पश्चिमः 9.41 मी. (30 फीट) चौड़ा रोड, उत्तरः किरण अरोड़ा की भूमि, दक्षिणः सुमित जोशी की भूमि।						
2.	10363337 & 10340467	श्री हसमुख श्रीमती रहीशन	ऋण अनुबन्ध सं. 10340467 के अन्तर्गत रु. 2388527/– (रुपये तेईस लाख अट्ठासी हजार पांच सौ सत्ताईस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है तथा ऋण अनुबन्ध सं. 10363337 के अन्तर्गत रु.1862132/–(रुपये अट्ठारह लाख बासठ हजार एक सौ बत्तीस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है, कुल रु. 4250659/– (रुपये बयालीस लाख पचास हजार छह सौ उनसठ मात्र) 27.04.2021	रु. 30,00,000/– (तीस लाख मात्र)	रु. 3,00,000/– (रुपये तीन लाख मात्र)	भौतिक	अनुबंध सं. 10363337 के अन्तर्गत रु. 33,83,558/– (रुपये तैंतीस लाख तिरासी हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है तथा अनुबंध सं. 10340467 के तहत रु. 39,88,601/– (रुपये उनतालीस लाख अट्ठासी हजार छह सौ एक मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है, अतः कुल रु. 73,72,159/– (रुपये तिहत्तर लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) आप पर बकाया तथा देय है।
	अचल सम्पत्ति का विवरणः मौजा ब्राह्मणवाला, परगना पछवा दून, जिला देहरादून– उत्तराखण्ड–248001 में स्थित भूमि खाता संख्या–256 (फसली 1420 से 1425), खसरा संख्या–382 केएचए मिन, क्षेत्रफल माप 55.76 वर्ग मी. (प्राईवेट मकान सं.–912) में शामिल सम्पत्ति के सभी भाग तथा हिस्से के साथ बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाएं। **चौहद्दीः**– पूर्वः–श्रीमती कमल की सम्पत्ति, साइड माप 20 फीट, पश्चिमः– 25 फीट चौड़ी रोड, साइड माप 20 फीट, उत्तरः– श्रीमती कमल की सम्पत्ति, साइड माप 30 फीट; दक्षिणः– श्रीमती चन्द्रकली की सम्पत्ति, साइड माप 30 फीट। **टिप्पणी – टीसीएचएफएल के विरूद्ध थर्ड पार्टी द्वारा दाखिल की गयी (एसए/211/2024) डीआरटी, देहरादून के समक्ष लम्बित है, उक्त मामले में टीसीएचएफएल के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।** बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पूर्व due diligence कर लें। नीलामी मामले में निर्णय उक्त विवाचन के परिणामों के अधीन होगा।						
3.	10143152 & TCHHF0374000100066788	श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा उर्फ सतीश शर्मा, श्रीमती साधना शर्मा पत्नी श्री सतीश कुमार शर्मा उर्फ सतीश शर्मा, श्री सतीश कुमार शर्मा उर्फ श्री सतीश शर्मा पुत्र श्री पारस राम शर्मा,	ऋण खाता सं. 10143152 के अंतर्गत रु. 86,51,709/– (रूपये छियासी लाख इक्यावन हजार सात सौ नौ मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय तथा ऋण खाता सं. TCHHF0374000100066788 के अन्तर्गत रू. 13,24,022/– (रुपये तेरह लाख चौबीस हजार बाईस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है, अर्थात् कुल रू. 99,75,731/– (रुपए निन्यानवे लाख पचहत्तर हजार सात सौ इकतीस मात्र) 20-12-2022	रु. 50,00,000/– (रुपये पचास लाख मात्र)	रु. 5,00,000/– (रुपये पांच लाख मात्र)	भौतिक	अनुबन्ध सं. 10143152 के अन्तर्गत रु. 1,20,41,115/– (रुपये एक करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार एक सौ पंद्रह मात्र) आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है तथा अनुबन्ध सं. TCHHF0374000100066788 के अन्तर्गत रु. 17,93,739/– (रुपये सत्रह लाख तिरानवे हजार सात सौ उनतालिस मात्र) आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है, अतः कुल रु. 1,38,34,854/– (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख चौंतीस हजार आठ सौ चौवन मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है।
	अचल सम्पत्ति का विवरणः मौजा ग्राम रायपुर, परगना परवादून, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) में स्थित आवासीय सम्पत्ति माप 217.79 वर्ग मीटर जो खसरा नं. 1560, खाता नं. 247 (फसल वर्ष 1399–1404) में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्से के साथ बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाएं। **चौहद्दीः** पूर्वः नाली (साइड 43'), पश्चिमः 12 फीट चौड़ी रोड (साइड 43'), उत्तरः श्री सुन्दर लाल की भूमि (साइड 57'), दक्षिणः विक्रेता की भूमि (साइड 52'),						
4.	TCHHL0374000100073152	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री सतीश कुमार	रु. 22,74,940/– (रुपये बाईस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चालीस मात्र) 17-06-2022	रु. 18,00,000/– (रुपये अठारह लाख मात्र)	रु. 1,80,000/– (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)	भौतिक	रु. 35,15,337/– (रुपये पैंतीस लाख पंद्रह हजार तीन सौ सैंतीस मात्र)
	अचल सम्पत्ति का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ ग्राम रानीपुर, ड्रीम सिटी के नाम से निहित परिक्षेत्र, एमसी लिमिट हरिद्वार के बाहरी भाग में, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) में स्थित खसरा संख्या 792/1/2 में शामिल आवासीय सम्पत्ति फ्लैट संख्या एस–1 (छत के अधिकार के बिना), दूसरे तल पर, प्लाट संख्या 148, कारपेट एरिया माप – 723.17 वर्ग फीट एवं सुपर एरिया माप 1040 वर्ग फीट अर्थात – 96.65 वर्ग मीटर की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः प्लाट संख्या 149, पश्चिमः प्लाट संख्या 147, उत्तरः 30' चौड़ी रोड, दक्षिणः पिंक सिटी।						
5.	10515859 & 10531767	श्री राम प्रवेश कुमार सिंह उर्फ राम प्रवेश सिंह पुत्र श्री शिव देव सिंह श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री रामप्रवेश कुमार सिंह	ऋण अनुबंध संख्या 10515859 के अन्तर्गत रू. 12,30,818/– (रुपये बारह लाख तीस हजार आठ सौ अठारह रुपये मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है तथा अनुबंध संख्या 10531767 के अन्तर्गत रू. 7,42,574/– (रुपये सात लाख बयालिस हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है, अर्थात् कुल रू. 19,73,392 रुपये (रूपये उन्नीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बानवे मात्र) 11-11-2022	रु. 18,90,000/– (रुपये अठारह लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 1,89,000/– (रुपये एक लाख नवासी हजार मात्र)	भौतिक	अनुबन्ध सं. 10515859 के अन्तर्गत रु. 17,75,511/– (रुपये सत्रह लाख पचहत्तर हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है तथा अनुबन्ध सं. 10531767 के अन्तर्गत रु. 11,00,125/– (रुपये ग्यारह लाख एक सौ पच्चीस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय है, अतः कुल रु. 28,75,636/– (रुपये अट्ठाईस लाख पचहत्तर हजार छह सौ छत्तीस मात्र) की राशि आप पर बकाया तथा देय है।
	अचल सम्पत्ति का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ ग्राम फुलसुंगा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में स्थित खसरा संख्या 198 मिन (प्रा. प्लॉट नं. 130 का आधा भाग), एरिया माप 60.40 वर्ग मी. (20'X32½') में शामिल आवासीय सम्पत्ति का सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः प्रा. प्लाट संख्या 130 का भाग, पश्चिमः प्रा. प्लाट संख्या 131, का भाग, उत्तरः रोड, दक्षिणः बानाबन्दी कॉलोनी।						

इस नीलामी में सर्व–साधारण को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली जमा करने के लिये आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी अथवा व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी कर्तव्य का निर्वहन करना हो, वे बिक्री की जाने वाली अचल सम्पत्ति को अर्जित करने अथवा कोई हित अर्जित करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोली करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे।
यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।
नोटः ई–नीलामी बिक्री उपरोक्त लिखित तिथि को 5 मिनट प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से 23.01.2025 को अपराह्न 2:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित की जायेगी।
नियम एवं शर्तेंः– **1.** संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। **2.** आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। **3.** बोली वृद्धि राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) होगी। **4.** सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'** के पक्ष में शाखा कार्यालय के पते पर देय भुगतान योग्य डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी के बाद वापस लौटा दिया जायेगा। अग्रिम धनराशि एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस द्वारा जमा करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। **5.** उच्चतम बोलीदाता को इसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो प्राधिकृत अधिकारी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं। **6.** दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है। **7.** अचल सम्पत्ति का निरीक्षण 17.01.2025 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक पूर्व नियुक्ति पर किया जा सकता है। **8.** सफल क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास 25 प्रतिशत क्रय मूल्य जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का भुगतान 24 घण्टे के भीतर करना होगा तथा उसे जमा करने में विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री की जायेगी। **9.** यदि उपरोक्त रूप से आरम्भिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15 वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रहवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। **10.** उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर सम्पत्ति की फिर से नीलामी/निजी संधि के द्वारा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। **11.** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऐसे किसी अधिभारों का विवरण जो सम्पत्ति पर देय हैः उपरोक्त तालिका के अनुसार। सम्पत्ति पर प्रस्तुत की गई दावे तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य किसी ज्ञात अधिकारों का विवरणः ऊपर तालिका के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों से सम्बन्धित अपनी स्वयं की स्वतन्त्र जांच कर लें। **12.** अन्य किसी विवरणों अथवा संभावित बोलीदाता को ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए क्लाइन्ट सर्विस डेलीवरी (सीएसडी) विभाग, हमारे बिक्री एवं विपणन तथा ई–नीलामी सेवा प्रदाता, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038 Email : info@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क किया जा सकता है। कृपया अपनी पूछताछ whatsApp नंबर–9999078669 पर भेजें। **13.** उच्चतम बोलीदाता पर 1% टीडीएस लागू होगा जो उसे उच्चतम घोषित बोली की धनराशि पर देय होगा। इस धनराशि को उसे स्वामी/ऋणकर्ता के PAN में जमा करना होगा और चालान की प्रति कम्पनी को देनी होगी। **14.** उपरोक्त विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट में दी गई लिंक **website http://surl.li/qmjgme** देखें। **15.** कृपया लिंक पर भी जाएं https://www.tatacapital.com/property-disposal.html
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस सम्पत्ति की बिक्री के लिये उपरोक्त वर्णित बिक्री सहभागी के अतिरिक्त किसी दलाल/प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक व्यक्ति को समस्त प्रकार की जानकारी के लिए केवल अधोलिखित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए।

स्थानः यूपी व यूके
दिनांकः 06.01.2025

ह./– प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड